235. That at page 27, lines 1-10, be deleted.

III

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Refugee Relief Taxes (Abolition) Repeal Bill, 2002, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 29th November, 2002."

Sir, I lay a copy of the Refugee Relief Taxes (Abolition) Repeal Bill, 2002 on the Table.

REPORT OF THE JOINT COMMITTEE ON OFFICES OF PROFIT

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तरांचल) : महोदय, मैं आपकी अनुमति से लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति (तेहरवी लोक सभा) के 5वें प्रतिवेदन की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) सभा पटल पर रखता हूं।

LEAVE OF ABSENCE

MR. CHAIRMAN: I have to inform Members that a letter has been received from Shri Suresh Pachouri, stating that he is unable to attend the House due to urgent work. He has, therefore, requested for the grant of Leave of Absence from 27th November to 12th December, 2002.

Does he have the permission of the House for remaining absent from the sittings of the House from 27th November to 12th December, 2002, during the current Session of the Rajya Sabha?

[No. hon. Member dissented]

MR. CHAIRMAN: Permission to remain absent is granted.

MOTION FOR ELECTION TO THE RAJGHAT SAMADHI COMMITTEE

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT AND POVERTY ALLEVIATION (SHRI ANANTH KUMAR): Sir, I move:

"That in pursuance of clause (d) of sub-section (1) of Section 4 read with sub-section (4) of Section 4 of the Rajghat Samadhi Act, 1951 (41 of 1951), this House do proceed to elect, in such manner as the Chairman may direct, one member from among the members of the House to be a member of the Rajghat Samadhi Committee."

The question was put and the motion was adopted.

श्री रमा शंकर कौशिक (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, पहले तो मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि माननीय कृषि मंत्री जी नहीं हैं । ... **(व्यवधान)**...

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तरांचल): फूड एंड सिविल सप्लाईज़ मिनिस्टर हैं ।... **(व्यवधान)**...

एक माननीय सदस्य : नॉट एग्रीकल्चर । ... **(व्यवधान)**...

श्री संघ प्रिय गौतम : कंज्यूमर अफेयर्ज़ हैं और यह लिस्ट में लिखा हुआ है । मंत्री जी, यहां उपस्थित हैं । ... **(व्यवधान)**...

श्री सभापति : आप किससे जवाब सुनना चाहते हैं ?

श्री रमा शंकर कौशिक : मैं तो सरकार से जवाब सुनना चाहता हूं ।... **(व्यवधान)**...

श्री सभापति : क्या आप किसी और मंत्री से जवाब सुनना चाहते हैं ।

श्री रमा शंकर कौशिक : नहीं ।

श्री सभापति : तो फिर आप बोलिए । ... **(व्यवधान)**...

श्री रमा शंकर कौशिक : श्रीमन्, मैं तो सरकार से ही जवाब सुनना चाहता हूं, लेकिन आम तौर पर यहां पर मंत्रीगण यह कह देते हैं कि यह फलां मंत्री से संबंधित है ।

श्री सभापति : नहीं, यह नहीं बोलेंगे, यह मैं आपको गारंटी से कहता हूं ।

श्री रमा शंकर कौशिक : धन्यवाद । ... **(व्यवधान)**...

श्री सभापति : आप तो बोलिए ।

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE
PROBLEMS OF SUGARCANE GROWERS

श्री रमा शंकर कौशिक (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से गन्ना उत्पादकों की समस्याओं के संबंध में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव) : सभापति जी, शूगर इंडस्ट्री आज क्राइसेस में है । पिछले तीन साल से इस इंडस्ट्री के कैरी ओवर स्टॉक में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है । पिछले शूगर सीज़न की समाप्ति पर इंडस्ट्री के पास लगभग 100 लाख टन का कैरी ओवर स्टॉक था । इस चालू शूगर सीज़न के अंत में यह कैरी ओवर स्टॉक लगभग 80 लाख टन होगा । दूसरी ओर, फ्री सेल शूगर की कीमतों में पिछले कुछ महीनों में कमी आई है कैरी ओवर स्टॉक बढ़ने से और कीमतों के कम होने से शूगर इंडस्ट्री की गन्ना कीमत देने की क्षमता में कमी आई है । 30.9.2002 की स्थिति के अनुसार लगभग 1100 करोड़